वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 2017-माघ 28, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शादी से पहले स्मिता मुन्जे पुत्री स्व. रमेशशंकर राव मुन्जे निवासी 92/24, 1250 टी. टी. नगर भोपाल. मेरा विवाह 02 जनवरी, 1994 को श्री नवीन भोपटकर के साथ हुआ उसके पश्चात् मेरा नाम श्रीमती स्मिता भोपटकर पत्नी श्री नवीन भोपटकर निवासी आर-9, न्यू कुशल नगर, गांधी नगर, ग्वालियर हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(स्मिता मुंजे)

नया नाम :

(स्मिता भोपटकर)

(669-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी ममता राठौर पुत्री श्री वीरेन्द्र सिंह राठौर था. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती ममता चौहान पत्नी श्री दीपक सिंह चौहान हो गया है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती ममता चौहान से जाना और पहचाना जायें.

पुराना नाम :

(ममता राठौर)

नया नाम :

(ममता चौहान)
पत्नी श्री दीपक सिंह चौहान,
पता-शिवाजी कॉलोनी, बिरला नगर,
ग्वालियर.-474004.

(670-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में मेरा नाम वसी मोहम्मद आत्मज श्री वली मोहम्मद अंकित

है. मेरा सही नाम वसी मोहम्मद अन्सारी आत्मज श्रीवली मोहम्मद अन्सारी है. अतः तत्काल प्रभाव से मेरा सही नाम वसी मोहम्मद अन्सारी (Wasi Mohammad Ansari) आत्मज श्री वली मोहम्मद अन्सारी समस्त अभिलेखों में लिखा, पढ़ा एवं समझा जाय.

पुराना नाम :

(वसी मोहम्मद आत्मज श्रीवली मोहम्मद)

नया नाम :

(वसी मोहम्मद अन्सारी)
(Wasi Mohammad Ansari)
आत्मज श्रीवली मोहम्मद अन्सारी,
प्लाट नं. 1/25/445 इन्दिरा नगर, रीवा.

(680-बी.)

आम सूचना

मैं, योगिनी पटेल पत्नि स्व. श्री कैलाश एवं पुत्री स्व. शंकर सिंह, निवासी म. न. 30-क, बिजौरी (गगई), राम मंदिर के पास, तहसील-शहपुरा भिटौनी, जिला जबलपुर (म. प्र.), जिसे अब तक "योगिनी" उर्फ "लक्ष्मी बाई पटेल" उर्फ "लक्ष्मी बाई" उर्फ "लक्ष्मी" उर्फ "लक्ष्मी बाई लोधी" कहा जाता था अपने इस निश्चय को प्रकट करने के प्रयोजनार्थ घोषणा करती हूं कि मैं, इसके पश्चात् समस्त समयों पर, समस्त अभिलेखों, विलेखों तथा लेखों में समस्त कार्यवाहियों तथा संव्यवहारों में, चाहे ये प्रायवेट हों या सरकारी हों और समस्त अवसरों पर अपने परिवर्तित नाम "योगिनी पटेल" का ही उपयोग करूंगी और इसी नाम के हस्ताक्षर करूंगी. अतः मुझे "योगिनी पटेल" के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(योगिनी/लक्ष्मी बाई पटेल/लक्ष्मी बाई/लक्ष्मी/लक्ष्मी बाई लोधी)

नया नाम :

(योगिनी पटेल)

(671-बी.)

PUBLIC NOTICE

(U/s 72 of the Indian Partnership Act, 1932)

Notice is hereby given that M/s Lion Engineering Consultants of Bhopal vide Reg. No. 121, dated 27 Nov. 2002 undergone the following change.

That Ms Manju Sharma D/o Mr. Shyam sunder Sharma has joined as a partner in the partnership Firm with effect from 19 july, 2006.

Lion Engineering Consultants,
O. N. SHARMA,
(Partner).

(672-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आर हेरिटेज, द्वारा डॉ. एस. एन. शर्मा, एमआईजी-146, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल-462003 फर्म पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0305/15 सन् 2015-16, फर्म के पार्टनर नं. 02 श्रीमती रेणु नायक, पुत्री श्री ए. के. गिरदोनिया, द्वारा विशाल नायक, ए-500, शाहपुरा, भोपाल-462016 दिनांक 07 जून, 2016 से फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गई हैं, जिनका फर्म के किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा. वर्तमान में फर्म के भागीदार श्रीमती ऋतु केसरी व श्रीमती सुषमा चौबे रहेंगी एवं इनके द्वारा फर्म के कार्यों, गतिविधियों, क्रियाकलापों, वित्तीय लेन-देन इत्यादि कार्यों का संपादन किया जावेगा.

द्वारा फर्म
ऋतु केसरी,
(प्रोपराईटर एवं पार्टनर)
मेसर्स आर हेरिटेज द्वारा डॉ. एस. एन. शर्मा,
एमआईजी, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल-462003.

(673-B.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 नवम्बर, 2016 से फर्म में आभा कन्सट्क्शन एण्ड कन्सलटेन्सी में भागीदार क्र. 1 रीतेश तिवारी भागीदार क्र. 3 अनुराग सोनी फर्म से अलग हो रहे है. एवं दिनांक 19 नवम्बर, 2016 में भागीदार क्र. 2 के रूप में सीमा तिवारी फर्म में जुड़ रही है.

प्रमोद दुबे,
एडवोकेट एण्ड कन्सलटेन्ट

(674-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म में मां ज्वाला कंस्ट्रक्शन जिसका पता C/o अजीत जैन, P. W. D. रोड, कॉलेज कॉलोनी वार्ड नं. 01 धनपुरी, जिला शहडोल (म. प्र.) का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें मां ज्वाला कंस्ट्रक्शन का फर्म पंजीयन नं. 05/26/0900060/10 एवं पंजीयन दिनांक 16 अगस्त, 2010 है. पुनर्गठन में भागीदारी श्री धमेन्द्र सोनी व आशीष कुमार राय फर्म से स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से अलग हो रहे हैं पुनर्गठन के बाद मां ज्वाला कंस्ट्रक्शन में दो भागीदार शेष बचेंगे जिनका नाम श्री संतोष कुमार जायसवाल एवं श्रीमती सुमन सिंह है. जो कि 50 प्रतिशत प्रत्येक मुनाफा एवं नुकसान के भागीदार होंगे. जिस किसी को फर्म के पुनर्गठन से आपत्ति हो, आपत्ति के कारण एवं संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय उप-पंजीयक, फर्म्स एवं समितियां, रीवा के समक्ष उपस्थित होकर सूचना प्रकाशन दिनांक से 10 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

मे. मां ज्वाला कन्स्ट्रक्शन
संतोष कुमार जायसवाल,
(भागीदार)

(675-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सी. बी. एस. कंस्ट्रक्शन, पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00135 पता - एल. आई. सी.- 204 भारती निकेतन, गोविन्दपुरा भोपाल के भागीदारी विलेख में परिवर्तन किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है- श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री पर्वत सिंह को आपसी सहमति से दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से निवृत किया जाता है एवं श्री पर्वत सिंह लोधी पुत्र स्व. श्री हल्के सिंह को दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से फर्म का नया भागीदार बनाया गया. अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता उपरोक्त फर्म परिवर्तित भागीदार, वर्तमान भागीदार एवं निवृत भागीदार से फर्म संबंधी कोई लेन देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति, शासकीय या अशासकीय संस्था बैंक या अन्य किसी संस्था जिसके हित प्रवाहित होता है, यह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर में मय दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त समयावधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी एवं शून्य मानी जावेगी.

शिवल सिंह चौहान,
(अधिवक्ता),
194 जोन-1 एम. पी. नगर, भोपाल.

(676-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अरूण कान्सट्रक्शन कम्पनी मडरिया, जिला सीधी (म. प्र.) के भागीदार श्री आनन्द बहादुर सिंह पिता स्व. रन्नू सिंह, श्री गंगा प्रताप सिंह पिता श्री राम सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह पिता श्रीराम सिंह, श्री राम सिंह पिता श्री लालमनि सिंह, श्रीमती विमला सिंह आत्मज श्री राम सिंह सभी निवासी ग्राम चौहानन टोला, पोस्ट पोड़ी जोडौरी, जिला सीधी (म. प्र.) एवं श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री शिवनाथ सिंह ग्राम अमहा, पोस्ट सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) श्री रमेश प्रताप सिंह आत्मज श्री हिन्दराज सिंह ग्राम मडरिया, जिला सीधी श्री रामनारायण सिंह आत्मज बल्देव सिंह ग्राम बमुरी, पोस्ट सिहावल, जिला सीधी (म. प्र.) एवं श्री केशरी प्रसाद शाहू आत्मज स्व. बाबूलाल केशरी सेवानिवृत्त उपयंत्री निवासी गोल बाजार जबलपुर (म. प्र.) उक्त सभी लोगों ने भागीदार फर्म से दिनांक 30 सितम्बर, 2016 से अलग हो गए हैं. इनके स्थान नये भागीदार श्रीमती प्रभा सिंह पत्नी आनन्द बहादुर सिंह एवं श्रीमती खुशबू सिंह पत्नी श्री अरूण कुमार सिंह, ग्राम मडरिया, जिला सीधी (म. प्र.) दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से शामिल हो गई है, लेनदारों, देनदारों पुरानी फर्म की होगी तथा फर्म में नये भागीदार इस प्रकार से होंगे. (1) श्री अरूण कुमार सिंह - 25 प्रतिशत (2) श्री अरविन्द सिंह - 25 प्रतिशत (3) श्रीमती प्रभा सिंह - 25 प्रतिशत (4) श्रीमती खुशबू सिंह - 25 प्रतिशत.

वास्ते मेसर्स अरूण कान्सट्रक्शन कम्पनी
अरविन्द सिंह,
(भागीदार).

(677-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ए. व्ही. कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर्स पंजीयन क्रमांक-91 दिनांक 04 अक्टूबर, 2008 के पते एवं संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है. पूर्व पता- रेडियो कालोनी के सामने हेडगेवा नगर रीवा (म. प्र.). नवीन पता-35/108 फोर्ट रोड घोघर रीवा (म. प्र.). फर्म में सम्मिलित होने वाले पार्टनर श्रीमती शालिनी दुबे. फर्म से पृथक होने वाले पार्टनर स्व. श्री आशुतोष सिंह. शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे. उक्त परिवर्तन दिनांक 14 मई, 2011 से किया गया है.

मेसर्स ए. व्ही. कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर्स
विवेक दुबे,
(भागीदार).

(678-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री सांई कान्सट्रक्शन कम्पनी गंगोत्री कॉलोनी समान, रीवा से दिनांक 16 जनवरी, 2017 से पार्टनर श्री सुशीलचन्द्र शर्मा तनय श्री शिवशरण दुबे को पृथक किया जाता है. शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे.

मे. श्री सांई कान्सट्रक्शन कम्पनी
अविनाश सिंह,
(भागीदार).

(679-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर

सागर, दिनांक 25 जनवरी, 2017

क्र.-667/व. लि.-3/2017.-मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन, विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3/2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं विकास सिंह नरवाल वर्ष 2017 के लिए सागर जिले के अंतर्गत निम्नलिखित तारीखों को पूरे जिले के लिए स्थानीय अवकाश एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3/20/83/1/4, दिनांक 24 जून, 1983 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर डॉ. हरिसिंह गौर जयंती का विशेष अवकाश केवल सागर नगर के लिए घोषित करता हूँ:-

क्रमांक	अवकाश का दिनांक	दिन	पर्व/त्यौहार
1.	17 मार्च, 2017	शुक्रवार	रंगपंचमी
2.	28 सितम्बर, 2017	गुरुवार	दुर्गा महाष्टमी
3.	20 अक्टूबर, 2017	शुक्रवार	दीपावली का दूसरा दिन

(26 नवम्बर, 2017 (डॉ. हरीसिह गौर जयंती) रविवार होने के कारण शासन द्वारा अवकाश घोषित है)

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय को लागू नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त उक्त अवकाश लोक सेवा गारंटी केन्द्रों के लिए भी लागू होंगे.

विकास सिंह नरवाल,
कलेक्टर.

(380)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील पवई, जिला पन्ना

प्र. क्र. 01/अ-113/वर्ष 2016-17

(नियम 11 देखिये)

संशोधित सूचना

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष:- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट तहसील पवई, जिला पन्ना मध्यप्रदेश.

इस न्यायालय द्वारा जारी सूचना-पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 की "अनुसूची आदि" जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1) पृष्ठ 77 एवं 78 पर दिनांक 13 जनवरी, 2017 को प्रकाशित है, में आंशिक संशोधन किया जाना है, जो इस कार्यालय की लिपिकीय त्रुटि से हुई है. जिसके अनुसार "कबीर शाखा" के स्थान पर "कबीर शाला" पढ़ा एवं माना जाए. इसी प्रकार अनुसूची में अंकित "चल संपत्ति" 1199005/- (ग्यारह लाख निन्नयानवे हजार पांच रुपये) के स्थान पर 119005/- (एक लाख उन्नीस हजार पांच रुपये) पढ़ा एवं माना जावे.

रामनरेश सिंह,
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(381)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन

राज. प्र. क्र.01/बी-113/2016-17

मण्डलेश्वर, दिनांक 13 जनवरी, 2017

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक श्री नवनीतलाल पिता रतनलाल सराफ निवासी महेश्वर, तहसील महेश्वर न्यास के अध्यक्ष द्वारा श्री माँ नर्मदा भक्त मण्डल धार्मिक परमार्थिक न्यास महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश का पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है.

उक्त आवेदन पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी आपत्ति/सुझाव मान्य नहीं किया जावेगा.

(लोक न्यास का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम	:	श्री माँ नर्मदा भक्त मण्डल धार्मिक परमार्थिक न्यास, महेश्वर तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश
न्यास का पता	:	श्री माँ नर्मदा भक्त मण्डल धार्मिक परमार्थिक न्यास नर्मदा तट महेश्वर तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश
चल सम्पत्ति	:	12,221/- (बारह हजार दो सौ इक्कीस रुपये मात्र)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

यह सूचना आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

बी. एस. सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(382)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

प्र.क्र.01/बी-113/2016-17

विदिशा, दिनांक 23 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

आवेदक श्री संतोषसिंह बघेल, अध्यक्ष, श्री हनुमान मंदिर निर्माण ट्रस्ट, निवासी ग्राम बामोरा, पोस्ट करेला, तहसील विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23 फरवरी, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा, लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 23 फरवरी, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट, ग्राम बामोरा, तहसील विदिशा (म.प्र.).
2. चल सम्पत्ति	:	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा खामखेड़ा विदिशा के खाता क्रमांक 11489624908 में 02,36,283.89 रु. जमा है. सूची अनुसार 1,22,900/- रु. की चल सम्पत्ति.
3. अचल सम्पत्ति	:	1. रकबा 0.774 हे. अनुमानित मूल्य 15.00 लाख रुपये 2. मंदिर में 7 मूर्तियां हैं. 3. एक कुंआ अनुमानित मूल्य 1.00 लाख रुपये.

आर. पी. अहिरवार,
रजिस्ट्रार.

(383)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

रीना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., करहिया.

रीना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., करहिया, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./....., दिनांक ..... है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तद्नुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(179)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1261.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा गणेश ऊनी दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., भितरी, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1032, दिनांक 26 जून, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. के. सोंधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक श्री सोंधिया द्वारा अपने पत्र दिनांक 07 सितम्बर, 2016 से संस्था के सदस्यों की आमसभा दिनांक 04 नवम्बर, 2015 जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है, संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है.

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन उपरान्त मेरी राय में गणेश ऊनी दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., भितरी जिला सीधी का अस्तित्व में बने रहना उसके सदस्यों के हित में आवश्यक है.

अत: मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये गणेश ऊनी दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., भितरी, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1032, दिनांक 26 जून, 2006 है, को एतद्द्वारा परिसमापन से मुक्त करता हूं तथा कार्य संचालन हेतु आगामी तीन माह के लिए संस्था के सदस्यों में से निम्नानुसार संचालक मण्डल नामांकित करता हैं.—

1.	श्री जगन्नाथ साहू	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सावित्री साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री पदुम नाथ साहू	उपाध्यक्ष
4.	श्री राज बहोरन साहू	संचालक
5.	श्री दादूलाल साहू	संचालक
6.	श्री सूर्यवली साहू	संचालक
7.	श्री बवना यादव	संचालक
8.	श्री रघुनाथ साहू	संचालक
9.	श्री निचकउ साकेत	संचालक
10.	श्रीमती सकुन्तला साहू	संचालक
11.	श्री सविता साहू	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(355)

सीधी, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1262.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/441, दिनांक 01 जून, 2016 के द्वारा आदर्श मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., बकवा, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1088, दिनांक 30 सितम्बर, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. के. सोंधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक श्री सोंधिया द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2016 से संस्था के सदस्यों की आमसभा दिनांक 16 सितम्बर, 2016 जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है, संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है.

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन उपरान्त मेरी राय में आदर्श मत्स्य पालन उद्योग सहकारी समिति मर्या., बकवा जिला सीधी, का अस्तित्व में बने रहना उसके सदस्यों के हित में आवश्यक है.

अत: मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक

26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आदर्श मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., बकवा, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1088, दिनांक 30 सितम्बर, 2008 है, को एतद्द्वारा परिसमापन से मुक्त करता हूं तथा कार्य संचालन हेतु आगामी तीन माह के लिए संस्था के सदस्यों में से निम्नानुसार संचालक मण्डल नामांकित करता हूँ.—

1.	श्री शिवदास साकेत	अध्यक्ष
2.	श्री श्यामकली सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री गेंदलाल सिंह	उपाध्यक्ष
4.	श्री लखपति सिंह	संचालक
5.	श्री शिवप्रसाद सिंह	संचालक
6.	श्री रघुराज सिंह	संचालक
7.	श्री कुशल सिंह	संचालक
8.	श्री रामलल्लू सिंह	संचालक
9.	श्री रावेन्द्र सिंह	संचालक
10.	श्रीमती रामवती यादव	संचालक
11.	श्री लालदेव सिंह	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. सोनकुसरे,
उप-रजिस्ट्रार.

(356)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला शहडोल

शहडोल दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

क्र./परि./2017/33.—जिले में स्थित आराधना महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कोटमा तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 1014, दिनांक 03 जुलाई, 2002 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत आराधना महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कोटमा तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 1014, दिनांक 03 जुलाई, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट-बाडी) के रूप में विद्धमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(368)

शहडोल दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

क्र./परि./2017/34.—जिले में स्थित इटाभट्टा औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बुढार, तहसील बुढार, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 32, दिनांक 04 जून, 1963 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत

नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत इटाभट्टा औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बुढार, तहसील बुढार, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 32, दिनांक 04 जून, 1963 का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) के रूप में विद्धमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369)

शहडोल दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

क्र./परि./2017/35.—जिले में स्थित आदिवासी आबकारी सहकारी समिति मर्यादित, अमलई तहसील बुढार, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 948, दिनांक 14 जुलाई, 1998 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत आदिवासी आबकारी सहकारी समिति मर्यादित, अमलई तहसील बुढार, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 948, दिनांक 14 जुलाई, 1998 का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट-बाडी) के रूप में विद्धमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(370)

शहडोल दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

क्र./परि./2017/36.—जिले में स्थित मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पचगॉव तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 631, दिनांक 26 जून, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पचगॉव तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 631, दिनांक 26 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट-बाडी) के रूप में विद्धमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(371)

शहडोल दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

क्र./परि./2017/37.—जिले में स्थित आदर्श महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, शहडोल तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 905, दिनांक 03 फरवरी, 1996 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत आदर्श महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, शहडोल तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल पंजीयन क्रमांक 905, दिनांक 03 फरवरी, 1996 का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) के रूप में विद्धमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(372)

शहडोल दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

क्र./परि./2017/38.—जिले में स्थित विराट गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, शहडोल पंजीयन क्रमांक 1051, दिनांक 16 सितम्बर, 2005 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधि नियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत जिले में स्थित विराट गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, शहडोल पंजीयन क्रमांक 1051, दिनांक 16 सितम्बर, 2005 का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट-बाडी) के रूप में विद्धमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

बी. एस. परते,
उपायुक्त (सहकारिता).

(373)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	सोनाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, मर्या., कल्याणपुर	1010/01-02-2001	400/22-04-2016
2.	विराट प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सोहागपुर	836/28-03-1991	837/15-09-2015

1	2	3	4
3.	महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बलपुरवा	954/07-01-1999	838/15-09-2015
4.	वन केन्द्र साख सहकारी समिति मर्या. शहडोल	643/25-09-1990	839/15-09-2015
5.	द.पू.रेल्वे कर्म. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., शहडोल	01/01-08-1953	840/15-09-2015
6.	महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., वार्ड 1, धनपुरी	651/22-12-1998	841/15-09-2015
7.	श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथखई	1082/29-05-2010	842/15-09-2015
8.	संजीवनी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंदोहा	1091/14-07-2010	843/15-09-2015
9.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., चुनिया	432/09-03-2006	844/15-09-2015
10.	बजरंग हाथकरघा सहकारी समिति मर्या., मैकी	431/08-03-2006	845/15-09-2015
11.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., बरतरा	639/21-03-1978	150/24-02-2016
12.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मैका	1047/17-05-2006	998/17-11-2015
13.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., टेटकी	811/12-01-1989	560/10-04-2000

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड,दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

ए. एल. गुप्ता,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(374)

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., शहडोल	905/03-02-1996	441/25-04-2016
2.	कबीर कामगार सहकारी समिति मर्या., शहडोल	1066/22-02-2008	443/25-04-2016
3.	महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोहागपुर वार्ड 04	1049/29-06-2006	442/25-04-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड,दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की

अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

डी. आर. सिंह,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(375)

कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अंतर्गत)]

क्र./परि./2016/01.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	मधुवन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुसरवाह	1161/27-08-2015	432/25-04-2016
2.	ठाकुरबाबा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मीठी	1159/27-08-2015	433/25-04-2016
3.	कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छपरा टोला	1158/27-08-2015	434/25-04-2016
4.	दुर्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराछ	1157/27-08-2015	440/25-04-2016
5.	गौ लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बसोहरा	1156/27-08-2015	439/25-04-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड,दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

मधुकर पेटकर,
उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(376)

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., बैतूल

बैतूल, दिनांक 25 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था./विधि/लेखा/2016-17/201.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बैतूल तहसील जिला बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक-बी. टी. एल./एच. ओ./97, दिनांक 06 मार्च, 1963 है, को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, दिनांक 02 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित

किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अशोक कुमार शुक्ला,
परिसमापक.

(378)

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायसेन

दिनांक 30 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./विधि/लेखा/2016-17/423.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक-आर. एस. एन./एच. ओ./111, दिनांक 12 अक्टूबर, 1965 है, को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/272, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेख बद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये. समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. व्ही सोरते,
परिसमापक.

(384)

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ, दिनांक 25 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./लेखा/2017/357.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, राजगढ़, तहसील व जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक-आर./जे/सी/आर/एच 0/88, दिनांक 07 सितम्बर, 1962 है, को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/274, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेख बद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये. समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. गनावे,
परिसमापक.

(385)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, मण्डला

मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित हिरदेनगर मंजी. क्र. 740, दिनांक 23 सितम्बर, 1999 विकास खण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपम./परिसमापन/2015/1284, दिनांक 19 जून, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एल. के. डहेरिया सहकारिता विस्तार अधिकारी, मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 10 जनवरी, 2017 का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, आलोक दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञपित क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मांझी सहकारी समिति मर्यादित हिरदेनगर पंजीयन क्रमांक 740 दिनांक 23 सितम्बर, 1999 कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2015/1284, दिनांक 19 जून, 2015 को निरस्त करता हूं. साथ ही संस्थ के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक सहकारिता विस्तार अधिकारी मण्डला को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

आलोक दुबे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(386)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पपादक सहकारी संस्था मर्या., सगरा.

क्र./परि./2016/1595.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सगरा, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(414)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पपादक सहकारी संस्था मर्या., लहरौली

क्र./परि./2016/1596.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लहरौली, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(415)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
चम्बल साख सहकारी संस्था मर्या., मेहगाँव.

क्र./परि./2016/1597.—चम्बल साख सहकारी संस्था मर्या., मेहगाँव, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाली पचैरा.

क्र./परि./2016/1598.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाली पचैरा, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
बैक एण्ड स्टाल साख सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड.

क्र./परि./2016/1599.—बैक एण्ड स्टाल साख सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड, के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(418)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
उर्मिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मिहोना.

क्र./परि./2016/1600.—उर्मिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मिहोना, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(419)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

पत्थर खदान श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., दिलीप सिंह का पुरा.

क्र./परि./2016/1601.—पत्थर खदान श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., दिलीप सिंह का पुरा, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(420)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोहद.

क्र./परि./2016/1602.—मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोहद, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(421)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला सहकारी मुद्रणालय मर्या., गोहद.

क्र./परि./2016/1603.—महिला सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., गोहद, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(422)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
प्रियंका गाँधी महिला प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., रौन.

क्र./परि./2016/1604.—प्रियंका गाँधी महिला प्रा. उप. सहकारी संस्था मर्या., रौन, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(423)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

अल्पसंख्यक हाथ करघा कालीन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मौ.

क्र./परि./2016/1605.—अल्पसंख्यक हाथ करघा कालीन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मौ., जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(424)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेहनगुर.

क्र./परि./2016/1606.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेहनगुर., जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(425)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कतरौल.

क्र./परि./2016/1607.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कतरौल, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(426)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

रौनक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गोहद.

क्र./परि./2016/1608.—रौनक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गोहद, के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(427)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानिकपुरा.

क्र./परि./2016/1609.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानिकपुरा, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(428)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहरा बुजुर्ग.

क्र./परि./2016/1610.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहरा बुजुर्ग, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(429)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., मिहोना.

क्र./परि./2016/1611.—डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., मिहोना, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(430)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डूगरपुरा.

क्र./परि./2016/1612.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डूगरपुरा, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(431)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्हरौल.

क्र./परि./2016/1613.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्हरौल, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुनारपुरा.

क्र./परि./2016/1614.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुनारपुरा, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(433)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

अहिल्याबाई महिला प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., आलमपुर.

क्र./परि./2016/1615.—अहिल्याबाई महिला प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., आलमपुर, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अत: उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(434)

भिण्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैतपुरा गुढ़ा.

क्र./परि./2016/1616.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैतपुरा गुढ़ा, जिला भिण्ड के वर्ष 2014-15 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. संस्था की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. प्रशासक को चार्ज न देना.

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक.

(435)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं जिला धार

धार, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	विपणन सहकारी संस्था मर्या., डही	970/30-10-1995	656/18-04-2013
2.	आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मेरती	1293/15-11-1965	656/18-04-2013
3.	आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी	14/18-02-1952	656/18-04-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिंगवा	1122/30-09-2002	1290/25-08-2014
5.	श्री सेवा साख सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी	1420/08-01-2014	26/01-01-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(436)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 06 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक

नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जेतगढ़	1151/28-02-2003	1237/27-08-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाकी	1150/28-02-2003	1237/27-08-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडल्या	1149/28-02-2003	1237/27-08-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम, 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 सितम्बर, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

जी. एस. कनेश,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(437)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 06 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (ग) के अंतर्गत)

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला धार के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	आदर्श आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., माण्डव	1760/05-11-2015
2.	सर्वोदय खादी ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., धार	1760/05-11-2015
3.	शिवशंकर तेल उत्पादक सहाकरी संस्था मर्या., सिंघाना तहसील मनावर.	645/18-04-2013
4.	ग्रामीण विद्युत सहकारी साख संस्था मर्या., मनावर	926/23-06-2014
5.	वसुंधरा एग्रो को आपरेटिव सहकारी संस्था मर्या., धार	1760/05-11-2011

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

के. के. जमरे,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(438)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्था को उपरजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अहमद तहसील सरदारपुर, जिला धार.	क्र./परि./2016/1126/30-07-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

स्वरूप माधवाचार्य,
परिसमापक.

(439)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समिति को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुन्द्रैल	608/24-08-1984	325/24-02-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समिति के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(440)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गुजरी	245/14-02-1964	1666/10-06-1975
2.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., तारापुर	337/30-03-1968	1514/28-10-1976
3.	पटेल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़)	917/24-12-1992	1556/28-10-2014
4.	धार सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., धार	500/26-06-1982	1556/28-10-2014
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साजोद	685/25-06-1987	1556/28-10-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरें द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

संजय चतुर,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(456)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रजापति कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार	964/01-05-1995	904/23-06-2015
2.	सागर एग्रोटेक सहकारी संस्था मर्या., घाटाबिल्लोद	1095/11-01-2002	808/31-05-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडछपुरा	1211/14-06-2006	1237/27-08-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.4

सी. बी. पाण्डे,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(441)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू-.—निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा उनके समक्ष दर्शित

आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदि. बहु. सह. संस्था मर्या., डोंगरी दसोडा	338/31-03-1968	88/12-01-2012
2.	आदि. बहु. सह. संस्था मर्या., माण्डव	329/31-03-1967	88/12-01-2012
3.	चक्रधारी संयुक्त कृषि सह. संस्था मर्या., डोंगरी दसौडा	232/14-12-1963	88/12-01-2012
4.	दुग्ध उत्पादक संस्था, नलावदा	1175/31-03-2004	1462/23-08-2012
5.	आदि. मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., आली	763/01-07-1991	1323/23-08-2010
6.	श्रीराम बांस उद्योग सह. संस्था मर्या., धार	571/31-05-1957	1323/23-08-2010
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, बिजूर (धार)	497/07-08-1982	644/08-04-2013
8.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, जाबडा	675/20-03-1986	1139/14-08-2013
9.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, पिपलखेडा	1093/15-10-2001	644/18-04-2013
10.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था, आहू	683/27-01-1986	31/04-01-2016
11.	जय गुरूदेव बीज उत्पा. सह. संस्था सेमलीपुरा	1249/04-06-2009	20/04-01-2016
12.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था, गरडावद	668/02-08-1986	324/23-02-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

राजाराम बघेल,
परिसमापक एवं स. नि..

(442)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समिति को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	रूपमति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., माण्डव	1246/19-08-2008	946/29-06-2015

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समिति के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

भूदीप सक्सेना,
परिसमापक एवं स. नि.

(443)

कार्यालय परिसमापक परि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, मर्या., बामानेर

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र.01.—परि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, मर्या., बामानेर, तहसील मनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/647, दिनांक 15 मार्च, 1985 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/375, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(444)

कार्यालय परिसमापक परि. आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था, मर्या., सराय

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र.01.—परि. आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था, मर्या., सराय, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/699, दिनांक 10 दिसम्बर, 1997 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/373, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(445)

कार्यालय परिसमापक परि. गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., सिलोदाखुर्द

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र.01.—परि. गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., सिलोदाखुर्द, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1237, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/369, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(446)

कार्यालय परिसमापक परि. मालवा साख सहकारी संस्था, मर्या., पिथमपुर

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र.01.—परि. मालवा साख सहकारी संस्था, मर्या., पिथमपुर, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1096, दिनांक 14 मार्च, 2002 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/368, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(447)

कार्यालय परिसमापक परि. माँ शारदा रेडिमेड सिलाई वस्त्रोद्योग एवं गृह उद्योग सहकारी संस्था, मर्या., पिथमपुर

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र.01.—परि. माँ शारदा रेडिमेड सिलाई वस्त्रोंद्योग एवं गृह उद्योग सहकारी संस्था, मर्या., पिथमपुर, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1104, दिनांक 20 जून, 2002 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/377, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448)

कार्यालय परिसमापक परि. माँ नर्मदा सा. उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था, मर्या., जाटपुर

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र.01.—परि. माँ नर्मदा सा. उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था, मर्या., जाटपुर, तहसील मनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1064, दिनांक 06 जून, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/366,

दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(449)

कार्यालय परिसमापक परि. माँ दुर्गा आजीविका बीज उत्पा. सहकारी संस्था, मर्या., गुलरफिरी

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र.01.—परि. माँ दुर्गा आजीविका बीज उत्पा. सहकारी संस्था, मर्या., गुलरफिरी, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1300, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/907, दिनांक 23 जून, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(450)

कार्यालय परिसमापक परि. उर्वशी कामगार सहकारी संस्था, मर्या., धार

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

परि. उर्वशी कामगार सहकारी संस्था, मर्या., धार, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1079, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/906, दिनांक 23 जून, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(451)

कार्यालय परिसमापक परि. वैष्णव बैरागी साख सहकारी संस्था, मर्या., धार

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

परि. वैष्णव बैरागी साख सहकारी संस्था, मर्या., धार, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1042, दिनांक 15 सितम्बर, 1999 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/905, दिनांक 23 जून, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एम. पेंढारकर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(452)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 16 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदिवासी बहु. सह. संस्था मर्या., लंगूर	334/19-03-1968	3514/28-10-1976
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., करोंदिया	1214/01-08-2006	1450/23-08-2012
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मुण्डला		1149/23-08-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(453)

कार्यालय परिसमापक परि. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., देवगढ़

दिनांक 17 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., देवगढ़, तहसील मनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 539, दिनांक 23 अप्रैल, 1983 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/2143, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(454)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 01 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समिति को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	जयदुर्गा महिला साख सह. संस्था मर्या., बदनावर	1227/03-04-2007	370/24-03-2015

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 मई, 2015 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

आर. सी. मालवीय,
परिसमापक एवं व. स. नि.

(455)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समिति को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	अन्नपूर्णा को. ऑप. एग्रो सहाकारी संस्था मर्या., धार	935/13-05-1994	1017/21-08-2006

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति

की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

डी. एस. चौहान,
परिसमापक एवं व. स. नि.

(457)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नाईबरौदा	455/05-03-1982	1237/27-08-2016
2.	एकता प्राथमिक सहकारी उप. भंडार मर्या., पिथमपुर	1337/22-11-2012	518/24-04-2015
3.	बालाजी ईंट भट्टा सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़)	810-27-03-1992	145/30-01-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाण्डाखेडा	1048/25-02-2000	144/30-01-2015
5.	शासकीय महाविद्यालय कर्मचारी परस्पर साख सह. संस्था मर्या., धार	344/01-09-1969	908/23-06-2015

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

प्रदीप पाठक,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(458)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	पिथमपुर अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर	997/05-11-1996	695/12-05-2014
2.	आदिवासी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सुन्द्रैल	304/05-11-1966	1590/23-03-2000
3.	आदिवासी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कालीबावड़ी	335/25-03-1968	
4.	सिलाला टोकनी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बारुडपुरा	689/22-07-1987	549/22-03-1999
5.	ईंट कवेलू सहकारी संस्था मर्या., सुन्द्रैल	552/17-06-1983	1262/30-06-1987

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

डी. एस. निगम ,
परिसमापक एवं स. नि.

(459)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदिवासी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सिरनी	277/19-02-1965	3574/28-10-1976
2.	जलखां हरिजन मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., मनावर	757/07-05-1990	628/02-04-1998
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उण्डेली	743/23-01-1990	1468/23-08-2012
4.	बंदना स्टोन केशर सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़)	811/27-03-1992	1633/04-10-2005
5.	लक्ष्मीबाई यातायात सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़)	822/28-07-1992	693/12-05-2014
6.	शारदा गुड खाण्डसारी सहकारी संस्था मर्या., रिगंनोद	243/21-02-1964	
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेडगांव	681/20-10-1986	646/18-04-2013
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरमण्डल	551/17-06-1983	646/18-04-2014
9.	हरि. चर्म. सहकारी संस्था मर्या., बरमण्डल (सरदारपुर)	679/02-09-1986	1140/14-08-2013
10.	लक्ष्मीबाई म. बचत एवं साख सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	1055/01-09-2000	693/12-05-2014
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुरा	1568/20-10-2014	125/22-01-2016
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनारिया	1541/30-09-2014	134/22-01-2016
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दहीवर	1510/27-03-2014	130/22-01-2016
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करनावद	1555/10-10-2014	131/22-01-2016
15.	धारेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार	384/21-05-1994	652/25-04-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

विकास खराड़े,
परिसमापक एवं स. नि.

(460)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	हरिजन सामूहिक कृषि संस्था, मोरदे	341/20-06-1970	1464/13-04-1999
2.	श्री गंगा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2090/11-09-2002	--
3.	सहयोग सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	1153/28-09-1992	--
4.	इन्दौर घासलेट सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	667/29-09-1989	--
5.	समता सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	606/29-10-2003	--
6.	संयुक्त कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1813/31-12-1991	--
7.	जय भवानी गोडिया कहार मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., सांवेर	538/24-07-1999	--
8.	आदिवासी मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., ...	807/20-05-1985	--
9.	नर्मदा पावरलुम बुनकर सह. संस्था मर्या., इन्दौर	.....	--
10.	सामूहिक कृषि जगजीवनराम, गोकलपुर	399/24-07-1972	2821/28-06-1984

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(461)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	वर्द्धमान नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	208/21-01-1978	--
2.	एस्कोसो शक्ति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	253/30-05-1989	--
3.	छावनी बोर्ड नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	--	--
4.	चेतना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	405/13-05-1985	--
5.	श्री दादा जी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	526/24-04-1987	--
6.	ओम सूर्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	500/18-05-1988	--
7.	कप्तान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	503/26-05-1988	--
8.	पांचु की चाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	96/18-10-1967	--
9.	नगर निवेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	206/01-09-1997	--
10.	गुरू गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	528/.....	--

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(462)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दशमेश दर्शन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	408/.....	--
2.	गरीब नवाज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	341/.....	--
3.	अलखनन्दी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	738/.....	--
4.	म.प्र. पुलिस दूरसंचार कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	711/.....	--
5.	मातृ श्री अहिल्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	330/.....	--
6.	महाजन मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1786/27-07-1996	--
7.	विवेकानन्द साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1808/28-11-1976	--
8.	श्री मालवा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1768/01-03-1996	--
9.	श्री संचयिका साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1980/08-09-1989	--
10.	आदर्श मैकेनिक सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	868/03-12-1987	--

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

एम. एस चौहान,
अके. अधिकारी.

(463)

कार्यालय परिसमापक हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., सनावदिया, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., सनावदिया, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 307, दिनांक 21 नवम्बर, 1966 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 3595, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(464)

कार्यालय परिसमापक हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., कजलाना, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., कजलाना, तहसील सांवेर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 363, दिनांक 28 मई, 1971 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 3595, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. एस. जमरा,
परिसमापक.

(465)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था, भैसलाय	21/01-06-1960	363/17-01-2003
2.	गांधी हरिजन गृह निर्माण सह. संस्था, इन्दौर	43/10-10-1962	4460/23-08-2003
3.	पंजाब खालसा गृह निर्माण सह. संस्था, इन्दौर	102/26-08-1959	3033/17-07-2003
4.	माल बीका गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	111/29-10-1969	3412/26-07-1986
5.	लोकमान्य गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., महू	136/08-06-1953	853/28-02-2000
6.	गांधी आदर्श गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	164/17-06-1974	7703/27-11-1999
7.	कमला गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., महू	412/13-06-1985	2750/05-07-2005

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र

के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

आर. सी. जरिया,
परिसमापक एवं अंके. अधिकारी.

(467)

कार्यालय परिसमापक एवं अंके. अधि./व.स.नि./स.नि./उप अंके. सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	विकास श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	360/04-01-1984	5006/30-11-1994
2.	श्री विजासन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	363/21-02-1984	4453/23-08-2003
3.	गंदी बस्ती उन्मूलन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	364/09-03-1984	7565/28-07-1995
4.	राज्य कर्मचारी परिवहन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महू	374/03-05-1984	2130/26-05-2005
5.	सुन्दर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., पिगडम्बर	381/09-09-1984	5633/09-12-1994
6.	गांधी ग्राम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मांगल्पा	387/23-11-1984	3082/24-10-2007
7.	प्रिया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	517/28-02-1989	143/07-01-2005

अत: मैं, सतीश खण्डेलवाल, अंके. अधि./व.स.नि./स.नि./उप अंके. एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

सतीश खण्डेलवाल,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

(478)

कार्यालय परिसमापक आदर्श प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

आदर्श प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR 439, दिनांक 04 मई, 1987 है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 20/05/394, दिनांक 04 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(473)

कार्यालय परिसमापक प्रियांशी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

प्रियांशी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक ....., दिनांक ..... है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 743, दिनांक 30 मई, 1998 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(474)

कार्यालय परिसमापक मृगनयनी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू. 1.-मृगनयनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक ....., दिनांक ..... है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 1165, दिनांक 12 मार्च, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(475)

कार्यालय परिसमापक राईटस गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

राईटस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक ....., दिनांक ..... है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 1165, दिनांक 12 मार्च, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(476)

कार्यालय परिसमापक ऋषि गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

राईटस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक ....., दिनांक ..... है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 1165, दिनांक 12 मार्च, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मोनिका सिंह,
वरिष्ठ सह. निरीक्षक एवं परिसमापक,

(477)

कार्यालय परिसमापक हरिजन सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., अम्बाचन्दल

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., अम्बाचन्दल, तहसील महू, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 383, दिनांक 03 नवम्बर, 1973 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4425, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(479)

कार्यालय परिसमापक हरिजन सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., तिल्लोर

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., तिल्लोर, तहसील ....., जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 236, दिनांक 09 जनवरी, 1964 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4425, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(480)

कार्यालय परिसमापक हरिजन सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., मेरोद

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., मेरोद, तहसील ....., जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 341, दिनांक 20 जून, 1970 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4425, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(481)

कार्यालय परिसमापक आदर्श सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., कोदरिया मई

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

आदर्श सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., कोदरिया मई, तहसील ....., जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 103, दिनांक 27 मई, 1957 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4425, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि

02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(482)

कार्यालय परिसमापक ककडी-खरबूजा सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., काकरिया पाल

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

ककडी-खरबूजा सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., काकरिया पाल, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 48/22, दिनांक .... नवम्बर, 1975 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4425, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(483)

कार्यालय परिसमापक हरिजन समाज सुधार सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., सांवेर

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

हरिजन समाज सुधार सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., सांवेर, तहसील सांवेर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 166, दिनांक 11 जुलाई, 1955 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4425, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(484)

कार्यालय परिसमापक सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., साहूखेडी

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., साहूखेडी, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 108, दिनांक 18 जुलाई, 1958 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4425, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(485)

कार्यालय, परिसमापक हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., चान्देर

चान्देर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू.-हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., चान्देर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 490, दिनांक 09 दिसम्बर, 1976 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4425, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486)

कार्यालय, परिसमापक प्रिया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू.-प्रिया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 517, दिनांक 25 फरवरी, 1989 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4425, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(487)

कार्यालय, परिसमापक इन्दौर वायर कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू.-इन्दौर वायर कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 20 मई, 1972 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 3595, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(488)

कार्यालय, परिसमापक विश्वकर्मा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू.-विश्वकर्मा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1151, दिनांक 10 अक्टूबर, 1977 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 3595, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(489)

कार्यालय, परिसमापक उषागंज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू.-उषागंज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 445, दिनांक 06 जुलाई, 1956 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे.

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490)

कार्यालय, परिसमापक राधा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू-राधा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 452, दिनांक 17 सितम्बर, 1987 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(491)

कार्यालय, परिसमापक कोहिनूर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू-कोहिनूर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 27 नवम्बर, 1987 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(492)

कार्यालय, परिसमापक मिलन श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू-मिलन श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 455, दिनांक 26 सितम्बर, 1987

है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(493)

कार्यालय, परिसमापक कन्धारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू-कन्धारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 460, दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(494)

कार्यालय, परिसमापक सत्य ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू-सत्य ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 468, दिनांक 16 नवम्बर, 1987 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(495)

कार्यालय, परिसमापक सी.बी. नवीन शिक्षिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महू

दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./क्यू.-सी.बी. नवीन शिक्षिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महू, तहसील महू, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 456, दिनांक 26 सितम्बर, 1987 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. पता:- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एफ. ए. खान,
सह. निरीक्षक एवं परिसमापक.

(496)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	कलौता विकास साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1939/12-03-1999	2571/31-05-2012
2.	श्रीयंत्र साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1775/11-09-1996	2571/31-05-2012
3.	इन्द्रधनुष साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1737/25-09-1995	2571/31-05-2012
4.	जगदंबा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1921/09-12-1998	2571/31-05-2012
5.	दी केमिस्ट साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1126/20-09-1998	2571/31-05-2012
6.	इन्दौर नगर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1886/25-03-1998	2571/31-05-2012
7.	मारूति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1785/02-07-1996	2571/31-05-2012
8.	कारागार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	115/26-12-1958	47/04-05-2005
9.	इन्दौर बैराठी कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	99/22-11-1956	110/06-01-2001
10.	आक्ट्रया कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	91/25-05-1967	5615/08-12-1994
11.	भारतीयम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	89/16-05-1967	6022/03-08-2004
12.	एस.बी.आय. सांकेत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	88/12-05-1967	5225/14-12-1994
13.	ग्रामोद्योग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	201/26-08-1944	1082/24-10-2007
14.	लक्की स्टार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1701/02-02-1995	476/04-02-2008
15.	पांचु की चाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	96/18-10-1967	25/03-01-2005
16.	नवदुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	183/06-04-1996	3082/24-10-2007
17.	भाग्योदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	948/17-03-2004	3082/24-10-2007
18.	निर्मला को-ऑप. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	961/15-04-2004	1808/26-07-2007
19.	वर्धमान नगर आवास संघ, इन्दौर	208/21-01-1978	3082/24-10-2007

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

संजय कौशल,
अके. अधिकारी एवं परिसमापक.

(468)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	हरिजन भूमिहीन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., नेहरूवन	338/06-06-1970	4718/28-11-2016
2.	गणेश श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बड़ोदिया खान सांवेर	166/01-06-1989	4717/28-11-2016
3.	शान्ता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., 7 एम.जी. रोड, इन्दौर	632/18-09-1996	4716/28-11-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

एस. एल. वास्केल,
अके. अधिकारी एवं परिसमापक.

(469)

कार्यालय, परिसमापक एवं व.स.नि. सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1)

के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	अलवारिस क्रेडिट को-ऑप. सहकारी संस्था मर्या., महूँ	1871/06-01-1998	3595/03-09-2016
2.	भण्डारी कामगार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	919/05-01-1950	3595/03-09-2016

अत: मैं, आनन्द खत्री, व.स.नि. एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

आनन्द खत्री,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

(470)

कार्यालय, परिसमापक एवं व.स.नि. सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	पंवार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	727/18-02-1998	2706/03-08-2015
2.	माँ गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	730/10-03-1998	2907/03-08-2015
3.	रघुवंश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1749/07-10-2005	3595/03-09-2016
4.	म.प्र. साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2158/13-08-1964	3595/03-09-2016

अत: मैं, सुनील रघुवंशी, व.स.नि. एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

सुनील रघुवंशी,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

(471)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू।.-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश

क्र./परि./2013/....., झाबुआ, दिनांक..... के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	आदिवासी बीज उत्पादक, रजला	1015/24-04-2007	272/03-07-2015
2.	वाटर शेड बीज उत्पादक, खाल खाण्डवी	1092/05-06-2013	271/13-07-2015
3.	बीज उत्पादक, रल्यावन	1048/07-06-2010	213/18-03-2014
4.	जिला यातायात एवं सह. सं., झाबुआ	1101/20-02-2014	273/18-03-2014

अत: मैं, संजय दवे, परिसमापक व उप-अंकेक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकॉर्ड, परिसंपत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

संजय दवे,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक,

(648)

कार्यालय, परिसमापक एवं व.स.नि. सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	सरोज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	720/20-01-1998	2904/03-08-2015
2.	नवजीवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	623/22-07-1996	3126/13-08-2015
3.	सुन्दर विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	725/02-02-1998	2905/03-08-2015
4.	मुरली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	709/04-12-1997	3128/13-08-2015

अत: मैं, आर. एस. ठाकुर, व.स.नि. एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. एस. ठाकुर,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

(472)

कार्यालय, परिसमापक एवं व.स.नि. सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	जनकार्य प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	221/28-11-1963	32/04-01-2017
2.	शास. कर्म. केन्टिन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	128/27-09-1953	33/04-01-2017
3.	हुकमचन्द मिल्स कर्म. प्राथमिक सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	277/12-06-1965	34/04-01-2017
4.	अग्रसेन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	220/26-11-1963	35/04-01-2017
5.	महू प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., महू	293/23-09-1965	36/04-01-2017
6.	लोकहित प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	290/11-08-1965	37/04-01-2017

अत: मैं, जगदीश खीची, व.स.नि. एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जगदीश खीची,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

(497)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाकर धारा-18(ए/क), (1),(2),(3) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को समनुदेशिती नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	आदिल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	ए.आर./आय.डी.आर./ 934/20-12-1990	परिसमापन/2012/ 5431/31-12-1992
2.	अलअमीन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	ए.आर./आय.डी.आर./ 1792/21-08-1996	परिसमापन/2012/ 5431/31-12-1992
3.	बिरला भारत साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	ए.आर./आय.डी.आर./ 1973/09-02-2000	परिसमापन/2012/ 5431/31-12-1992
4.	हितकारिणी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	ए.आर./आय.डी.आर./ 1138/08-05-1992	परिसमापन/2012/ 5431/31-12-1992
5.	हरिवंश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	ए.ए.आर./आय.डी.आर./ 1443/04-06-1994	परिसमापन/2012/ 5431/31-12-1992

सहकारी अधिनियम की धारा-18(1) के अंतर्गत पंजीयन निरस्ती दिनांक से संस्थाओं की समस्त अस्तियां समनुदेशिती में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस

सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

संजय कुचनकर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(498)

कार्यालय, परिसमापक एवं स.नि. सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	हुकुमचंद मिल सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	37/28-02-1933	2633/07-07-2015
2.	श्री हरिजन भूमिहीन हरिजन सामू. कृषि सह. संस्था मर्या., नेहरू वनग्राम, इन्दौर	338/06-06-1970	2633/07-07-2015

अत: मैं, अनिल निगम, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

अनिल निगम,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(499)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-उप/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, जिला इन्दौर के निम्न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विश्वास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	210	4898/03-09-2015

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्रीप्रजापति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	285/03-02-1981	2910/03-05-2015
3.	कंचन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	648/27-11-1996	3999/09-12-2014
4.	प्रिंसेस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	862/25-01-1996	4006/09-12-2014
5.	प्रभुश्रीआदिनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	752/14-07-1998	4003/09-12-2014
6.	इंदौर पशु आहार उत्पादन दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2157/20-10-1973	3082/13-12-2014
7.	संग्रिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	192/07-09-1976	4007/09-12-2014
8.	सर्वोदय नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	83/03-09-1966	2887/03-08-2015
9.	आदर्श प्रियदर्शनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	439/04-05-1987	2476/01-06-2015
10.	श्रद्धा को-ऑपरेटीव्ह हॉस्पिटल लिमिटेड, इन्दौर	88/26-10-1988	5439/04-11-2015
11.	जगजीवन राम सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., गोकुलपुर, इन्दौर	389/24-07-1972	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. के. उपरीत,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(500)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	बैंक ऑफ इंडिया स्टॉफ गृह निर्माण, इन्दौर	389/29-11-1984	216/12-01-2005
2.	श्री सिद्धी विनायक गृह निर्माण, इन्दौर		
3.	न्यू अरिअन्त गृह निर्माण सह. सं., इन्दौर	583/09-02-1996	6751/10-09-2004
4.	शिव-पार्वती गृह निर्माण सह. सं., इन्दौर	607/24-04-1996	1623/26-04-1999

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(501)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	हरिजन भूमिहीन सा. कृषि सह. संस्था मर्या., दास्तवार	333/31-01-1970	1469/13-04-1999
2.	हरिजन सामू. कृषि सह. संस्था मर्या., उमरियाखुर्द	41/10-10-1962	1455/13-04-1999
3.	प्राथमिक वनोपज संग्रहण सह. सं. अररावदाखुर्द	65/05-06-1960	
4.	श्रीपति नई तकनीक शिवग्रह सह. सं., इन्दौर	1913/03-09-1998	2552/31-03-2011
5.	आदर्श मेकेनिक साख सह. सं., इन्दौर	868/03-12-1987	

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(502)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	आदर्श नागरिक सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर		4906/16-09-2010
2.	शासकीय कर्म. सह. साख संस्था, इन्दौर		4906/16-09-2010

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

जगदीश जलोदिया,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

(503)

कार्यालय, परिसमापक एवं स.नि. सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	डायमंड श्रमठेका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1128/04-01-1990	3093/13-08-2015
2.	फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिसलावदा	836/24-01-2002	3095/13-08-2015
3.	जय जगदम्बा फल एवं सब्जी उत्पादक सह. संस्था मर्या., सिन्दोडी	1807/21-11-1996	3094/13-08-2015
4.	आदर्श सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., नन्दगांव	230/16-02-1963	3101/13-08-2015
5.	नव निर्माण संयुक्त कृषि सह. संस्था मर्या., भैंसलास	47/27-01-1964	3100/13-08-2015
6.	गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., कोदरिया	50/04-04-1963	2892/03-08-2015
7.	गांधी ग्राम गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., मागलियाँ	--	2893/03-08-2015
8.	नन्दन विहार गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	754/23-07-1999	601/16-02-2016

अतः मैं, वाय. एस. कौशल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

वाय. एस. कौशल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(505)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	राजेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	683/01-07-1997	4458/23-08-2003
2.	प्रभु श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	752/14-07-1998	2609/11-09-2007
3.	टीचर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	101/31-01-1957	2778/25-09-1997
4.	श्री दिगम्बर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	685/08-07-1997	3082/24-10-1997
5.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., गवली पलासिया	397/29-03-1956	4467/26-08-1977
6.	आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	102/27-03-1953	5526/07-02-1972

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	तन्दुमय आद्योगिक बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इमेटी भमोरी	--	--
8.	सुलभ यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	49/.....	841/13-02-2003

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टयां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

एन. के. मालवीय,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

(504)

कार्यालय, परिसमापक एवं स.नि. सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्था को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री चेतन्य गृह निर्माण, इन्दौर	417/08-07-1985	3422/14-09-2015

अत: मैं, निधि भदौरिया, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

निधि भदौरिया,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(506)

कार्यालय परिसमापक फ्रेण्डस प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., देपालपुर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-फ्रेण्डस प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., देपालपुर, तहसील देपालपुर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन

क्रमांक 122, दिनांक 22 मार्च, 1969. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 25, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(507)

कार्यालय परिसमापक ज्योति महिला उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-ज्योति महिला उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1480, दिनांक 09 जून, 1994. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 28, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(508)

कार्यालय परिसमापक प्रभात सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-प्रभात सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 251, दिनांक 31 अक्टूबर, 1963. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 27, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(509)

कार्यालय परिसमापक आदर्श हरिजन सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-आदर्श हरिजन सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन

क्रमांक 45, दिनांक 07 जनवरी, 2010. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 29, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(510)

कार्यालय परिसमापक शासकीय केन्द्रीय कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-शासकीय केन्द्रीय कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 20 अगस्त, 1952. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 26, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(511)

कार्यालय परिसमापक सहकारी उपहार गृह दूरभाष सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-सहकारी उपहार गृह दूरभाष उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 436, दिनांक 29 अक्टूबर, 1963. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 31, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(512)

कार्यालय परिसमापक जनता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-जनता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 217,

दिनांक 29 नवम्बर, 1963. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 30, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(513)

कार्यालय परिसमापक एजुकेशनिस्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-एजुकेशनिस्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 428, दिनांक 24 नवम्बर, 1986. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 2634, दिनांक 07 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514)

कार्यालय परिसमापक श्री शिवशंकर भूमिहीन हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-श्री शिवशंकर भूमिहीन हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 340, दिनांक 06 जून, 1970. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 2634, दिनांक 07 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(515)

कार्यालय परिसमापक शास्ति हरिजन आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., घाटाविल्लोद

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-शास्ति हरिजन आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., घाटाविल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला-इन्दौर,

जिसका पंजीयन क्रमांक 359, दिनांक 18 दिसम्बर, 1970. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 2634, दिनांक 07 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(516)

कार्यालय परिसमापक श्री ई.जी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-श्री ई.जी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 21 नवम्बर, 1986. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 2634, दिनांक 07 जुलाई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(517)

कार्यालय परिसमापक पलाश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-पलाश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 905, दिनांक 10 जून, 2003. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 165, दिनांक 14 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. एल. कोरी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(518)

कार्यालय, परिसमापक एवं स.नि. सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा

निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	छाया गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	719/14-12-1997	4862/15-09-2010
2.	पूर्णिमा गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	703/20-10-1997	4862/15-09-2010
3.	श्री संस्कार गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	708/11-02-1997	4862/15-09-2010
4.	हरिकृपा गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	706/28-10-1997	--,,--
5.	मुरली गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	709/14-12-1997	--,,--
6.	सांदीपनी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	101.....	--,,--
7.	श्रमिक यातायात साख संस्था मर्या., इन्दौर	483/22-04-1976	4906/16-09-2010
8.	बैरवा निर्माण कार्य सह. संस्था मर्या., इन्दौर	325/11-02-1956	--,,--
9.	साईनाथ रेडिमेड वस्त्र उद्योग इन्दौर	822/31-12-1985	--,,--
10.	संगम सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1635/12-12-1985	--,,--
11.	फल-सब्जी उत्पादक सह. संस्था मर्या., कनाडिया	798/14-12-2000	--,,--
12.	सौरभ फल एवं सब्जी उत्पादक सह. संस्था मर्या., धरावरा	637/18-10-1996	--,,--
13.	फल-सब्जी उत्पादक सह. संस्था मर्या., भीलबड़ौली	814/27-06-2001	--,,--
14.	अलंकार निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	874/01-04-1959	4906/16-09-2010
15.	कलाई उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	298/18-11-1965	--,,--
16.	इण्डस्ट्रीज सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	--	--,,--
17.	हातोद विपण फल एवं सब्जी उत्पादक मर्या., हातोद	--	--,,--
18.	जम्बुडी हप्सी फल एवं सब्जी उत्पाद मर्या., जम्बुडी हप्सी	821/13-07-2001	--,,--
19.	इन्दौर फल एवं सब्जी उत्पा. संस्था मर्या., इन्दौर	--	--,,--
20.	विन्ध्यवासिनी फल एवं सब्जी मर्या., खुर्दी	638/18-10-1996	--,,--
21.	श्री परस्पर गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	--	2941/04-08-2015
22.	म.प्र. प्रथम वाहिनी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	690/.....	2903/03-08-2015
23.	अमरेश्वर आदिवासी सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., हरसोला	357/28-03-1970	3108/13-08-2015
24.	हरिजन आदिवासी सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., सामदा	--	3109/13-08-2015
25.	आसुतोष गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	--	606/16-06-2016

अत: मैं, मनोज शेल्के, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

मनोज शेल्के,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(519/520/521)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1)

के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	गुरू कृपा सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	254/05-09-2013	3579/29-09-2015
2.	क्लाथ मार्केट हम्माल गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	23/06-08-1960	605/16-02-2016
3.	युनिवर्स सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1868/25-11-1997	3595/03-09-2016
4.	इन्दौर मर्केन्टाइल्स सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	1817/31-01-1997	3595/03-09-2016

अत: मैं, अनिल राय, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

अनिल राय,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(522)

कार्यालय परिसमापक डायमण्ड श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-1.-डायमण्ड श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1128, दिनांक 04 जनवरी, 1992. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 847, दिनांक 13 फरवरी, 2003 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सवीता भायरे,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(523)

कार्यालय परिसमापक म.प्र. दूरसंचार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-म.प्र. दूरसंचार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 711, दिनांक 06 दिसम्बर, 1997. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 1778, दिनांक 06 मई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित

किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524)

कार्यालय परिसमापक समग्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-समग्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 774, दिनांक 05 जून, 1999. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 1778, दिनांक 06 मई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525)

कार्यालय परिसमापक इन्दूर परस्पर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-इन्दूर परस्पर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 252, दिनांक 21 मई, 1980. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 2989, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(526)

कार्यालय परिसमापक प्रा. वनोपज संग्रह सहकारी संस्था मर्या., असरावद खुर्द, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-प्रा. वनोपज संग्रह सहकारी संस्था मर्या., असरावद खुर्द, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 65,

दिनांक 05 जून, 1960. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4024, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(527)

कार्यालय परिसमापक आर. पी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-आर. पी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 20 जनवरी, 1988. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 2194, दिनांक 03 अगस्त, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(528)

कार्यालय परिसमापक हरि./आदिवासी वनोपज संग्रह सहकारी संस्था मर्या., मिर्जापुर, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-हरि./आदि. वनोपज संग्रह सहकारी संस्था मर्या., मिर्जापुर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 843, दिनांक 27 जून, 1961. है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के आदेश क्रमांक 4025, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(529)

कार्यालय परिसमापक वनोपज संग्रह सहकारी संस्था मर्या., बेरहा, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू.-वनोपज संग्रह सहकारी संस्था मर्या., बेरहा, तहसील....., जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 113, दिनांक 05 दिसम्बर, 1960. है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 4026, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखपुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(530)

कार्यालय परिसमापक हरिजन श्रमिक वनोपज संग्रह सहकारी संस्था मर्या., तिन्छापाल, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू.-हरिजन श्रमिक वनोपज संग्रह सहकारी संस्था मर्या., तिन्छापाल, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक ....., दिनांक ..... है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 4027, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखपुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(531)

कार्यालय परिसमापक ईंट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महू, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू.-ईंट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महू, तहसील महू, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 173, दिनांक 20 जून, 1962. है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 4028, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कीं धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखपुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(532)

कार्यालय परिसमापक जय अम्बे ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., ..., जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू.-जय अम्बे ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील ....., जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1123, दिनांक 12 दिसम्बर, 1991. है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 4029, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखपुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(533)

कार्यालय परिसमापक सत्यम ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., सांवेर, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू.-सत्यम ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 12 फरवरी, 1991. है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक 4030, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखपुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आई. सी. वर्मा,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(534)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री राम गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., भैंसलाय	21	2889/03-08-2015
2.	सिद्धार्थ बैकवर्ड गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., इन्दौर	51	2889/03-08-2015

अत: मैं, शैलेन्द्र महाजन, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक

से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

शैलेन्द्र महाजन,
उप-अंकेक्षक.

(535)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., इन्दौर	54/.....	2891/03-08-2015
2.	दत्त श्री गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., इन्दौर	676/.....	2900/03-08-2015
3.	अनुसूचित जाति, जनजाति गृह निर्माण, सह. संस्था इन्दौर	. .	2899/03-08-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नाहरखेड़ी	. .	3113/13-08-2015
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरलाई	367/10-08-1971	3114/13-08-2015
6.	श्री चेतन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1743/12-10-1995	3595/03-09-2016
7.	श्री गणेश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	497/01-11-1947	3595/03-09-2016

अत: मैं, सुनील सक्सेना, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

सुनील सक्सेना,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(536)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1)

के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांकएवं दिनांक
1.	हैहय क्षत्रिय गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., इन्दौर	235/21-06-1979	4965/07-10-2003
2.	गुडलक अपार्टमेंट गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., इन्दौर	397/14-09-1985	24/03-01-2005
3.	डायमण्ड गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., इन्दौर	443/03-06-1987	5251/24-10-2003
4.	कंधारी नगर गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., इन्दौर	460/14-10-1987	142/07-01-2005
5.	पवित्र हृदय गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., इन्दौर	. .	2633/07-07-2015
6.	श्रीयंत्र साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1775/11-09-1996	257/31-05-2012
7.	टलहिसास क्रेडिट को-ऑप. सो. लि., महू	. .	. .
8.	पदम श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	561/27-04-2004	3082/24-10-2007

अत: मैं, आशीष सेठिया, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

अशीष सेठिया,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(537)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	आदर्श गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., राऊ	143/25-12-1953	2942/04-05-2015
2.	हरिजन गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., आगरा	30/27-07-1961	2943/04-08-2015
3.	जिनेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	. .	442/09-02-2016

अत: मैं, राजेश मालवीय, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

राजेश मालवीय,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(538)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सामू. कृषि, सह. संस्था मर्या., इन्दौर	476/18-06-1975	3595/03-09-2016
2.	हरिजन सामू. कृषि सह. संस्था मर्या., बछोड़ा इन्दौर	464, 494/29-12-1976	3595/03-09-2016
3.	इन्दौर बर्तन बाजार गृह निर्माण, सह. संस्था मर्या., इन्दौर	733/27-03-1998	609/16-02-2016

अत: मैं, एन. के. राठौर, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एन. के. राठौर,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(539)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	प्रियंका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सातेर महू	787/01-04-2000	1827/06-05-2004
2.	श्री पोरवाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	791/04-08-2000	3082/24-10-2007
3.	श्रीकांत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	810/02-06-2001	2613/11-09-2007
4.	श्री जैन श्वेताम्बर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	867/21-08-2002	3082/24-10-2007
5.	श्री बैजनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	918/26-08-2003	3082/24-10-2007
6.	राजनन्दिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	952/19-03-2004	3082/24-10-2007
7.	केशव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	913/24-07-2003	3082/24-10-2007

अत: मैं, एच. पी. गोयल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें,

चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एच. पी. गोयल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(540)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	बैंक ऑफ बड़ोदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	117/05-03-1970	2944/04-08-2015
2.	आदर्श बाबल्या खुर्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	125/26-03-1959	2895/03-08-2015
3.	कृषि विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	656/17-02-1997	2896/03-08-2015
4.	हरिजन सामूहिक कृषि जगजीवन, ग्राम सिमरोल	120/18-08-1963	3103/13-08-2015
5.	चामुण्डा संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., महूँ	230/16-02-1963	3102/13-08-2015
6.	जगदम्बा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1921/09-12-1998	3595/03-09-2016
7.	हरिजन श्रमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., आगरा	30/27-07-2001	--

अत: मैं, एस. एस. सिसौदिया, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एस. एस. सिसौदिया,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(541)

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./187.-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला-इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक INDR/HO/75, दिनांक 25 फरवरी, 1962 है, को संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, सम्भाग इन्दौर के आदेश क्र./साख/2016/323, दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत उपायुक्त सहकारिता इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो उक्त संस्था के परिसमापक एवं उपायुक्त सहकारिता, इन्दौर को लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी

लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव परिसमापक को विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. पाटनकर,
परिसमापक एवं उप-आयुक्त.

(542)

कार्यालय, परिसमापक एवं व.स.नि. सहकारी संस्थाएं, जिला-इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	बहुउद्देशीय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., गुरान खेड़ी	114	2885/03-08-2015
2.	खण्डेलवाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	35/17-03-1962	2866/03-08-2015
3.	राजीव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	345/21-07-1983	597/16-02-2016
4.	ग्रेटर बाबा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	701/09-10-1997	312/13-08-2015

अत: मैं, संतोष जोशी, व.स.नि. एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकॉर्ड आदि हो तो वह दो माह के अंदर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

संतोष जोशी,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(543)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आक्याखुर्द,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आक्याखुर्द, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुरूप कार्य संचालन न किये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यह सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(387)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुआझागर,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुआझागर, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(388)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
ओंकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये ओंकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(389)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
किसान कल्याण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोटकराडिया,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये किसान कल्याण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोटकराडिया, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(390)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
अवधेश प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अवधेश प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(391)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
हनुमान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करिया,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार

सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये हनुमान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करिया, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(392)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
रघुवीर मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, बंजली,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये रघुवीर मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, बंजली, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(393)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेताखेडी,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेताखेडी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(394)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरदा,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरदा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(395)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
गन्ना उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जावरा,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये गन्ना उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(396)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलखुटा,

जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलखुटा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(397)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कमलाखेडी,

जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कमलाखेडी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(398)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिम्मतखेडी,

जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार

सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिम्मतखेडी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(399)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
पुलिस विभागीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पुलिस विभागीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(400)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जोयन,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जोयन, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(401)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेडी,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेडी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(402)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माऊखेडी,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माऊखेडी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(403)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

हरिजन उद्धार गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,

जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन उद्धार गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(404)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

अरिहंत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जावरा,

जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अरिहंत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा निर्वाचन न कराये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या ससक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(405)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आनाखेडी,

जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आनाखेडी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के

अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुरूप कार्य संचालन न किये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(406)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कराडिया,

जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कराडिया, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुरूप कार्य संचालन न किये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(407)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नापाखेडा,

जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नापाखेडा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुरूप कार्य संचालन न किये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(408)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शेरपुरखुर्द,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शेरपुरखुर्द, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुरूप कार्य संचालन न किये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(409)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिंगडी,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिंगडी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुरूप कार्य संचालन न किये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(410)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भैसोला,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भैसोला, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत

यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुरूप कार्य संचालन न किये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(411)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पंथपिपलोदा,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पंथपिपलोदा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुरूप कार्य संचालन न किये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(412)

रतलाम, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ऐरवास,
जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ऐरवास, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ, कि सोसायटी द्वारा उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुरूप कार्य संचालन न किये जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाये.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

मनोज जायसवाल,
उप-रजिस्ट्रार.

(413)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 2017–माघ 28, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित–2017